न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी:– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 123/2019 प्रार्थना पत्र

1. गोरीलाल पिता श्री चतुर्भुज जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
2. मनोहरसिंह पिता पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
3. चरणसिंह पिता पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
4. गणपतसिंह पिता पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 36 वर्ष निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
5. सम्पतबाई पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
6. मु. धापुबाई पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. कवंलसिंह पिता श्रीराम जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्वाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
2. मनोहरसिह पिता श्रीराम जी जाति जाट उम्र व्यस्क निवासी आजमपुरा (रामपुरा) तह0 निम्वाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्वाहेड़ा ।

– विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट</u>

प्रार्थीगण की और से:– अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी उपस्थित

// आदेश // दिनांक 31.05.2022

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ़)

उपस्थितः—प्रार्थीगण की और सेः— अधिवक्ता श्री अनिल कुमार चौधरी
विपक्षीगण की और सेः— एक पक्षीय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम आजमपुरा (रामपुरा) तहसील निम्बाहेडा में स्थित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:— प्रार्थी गौरीलाल की खातेदारी में खाता सं0 28 अनुसार नवीन आराजी नं0 352 रकबा 0.1100 हेक्टेयर, आ0नं0 353 रकबा 0.8700 हेक्टेयर, आ0नं0 359 रकबा 0.2400 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.2200 हेक्टेयर हैं, जिसके पुराने आराजी नं0 255 रकबा 9 बिस्वा, आ0नं0 256/297 रकबा 3 बिघा 4 बिस्वा, आ0नं0 257/299 रकबा 19 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 4 बिघा 12 बिस्वा हैं।

इसी प्रकार प्रार्थी सं0 2 से लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी नं0 354 रकबा 0.4900 हेक्टेयर, आ0नं0 357 रकबा 0.1100 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नं0 256/298 रकबा 1 बिघा 19 बिस्वा, आ0नं0 257/300 रकबा 9 बिस्वा हैं। पुष्टि में नकल जमाबंदी एवं मिलना क्षैत्रफल व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये हैं।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात पूर्व सेटलमेन्ट के अनुसार साबिक आराजीयात पूर्व से पश्चिम लम्बाई में तीन टुकडो में विभाजित थी, यानि आ0नं0 297/256 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी, तथा उक्त आराजी के दक्षिण में आ0नं0 298/256 भी पूर्व से पश्चिम लम्बाई में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी एवं उक्त आराजी के दक्षिण में आ0नं0 256 मी. नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा आ0नं0 255 पश्चिम दिशा में नक्शा ट्रेस में दर्ज थी तथा इन आराजीयात के पूर्व दिशा में आ0नं0 256 स्थित थी।

राज0 सरकार द्वारा कृषि भूमियो का नये सिरे से नवीन सेटलमेन्ट कर नवीन आराजी नम्बर व रकबा कायम किया गया तो सेटलमेन्ट कमेटी द्वारा नवीन नक्शा ट्रेस कायम किया तो आराजी का अंकन पूर्व से पश्चिम लम्बाई में पूर्वानुसार नहीं कर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में कर दिया, यानि आ0नं0 352 पश्चिम में तथा उक्त आराजी के पूर्व में आ0नं0 353 व इसके पूर्व में आ0नं0 354 तथा उसके बाद विपक्षी सं01 व 2 की आ0नं0 355 व उसके पूर्व में दोनो प्रार्थीगण की आराजी नं0 357 व 359 के बीच में विपक्षी सं0 1 व 2 की आ0नं0 358 तरमीम कर दी, जबकि प्रार्थीगण व विपक्षीगण का

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कब्जा पूर्व सेटलमेन्ट के साबिक नक्शा ट्रेस में तरमीम अनुसार चला आ रहा हैं। इसलिये पूर्व सेटलमेन्ट के साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार काबिज अनुसार ही नवीन नक्शा में तरमीम कराना चाहते हैं व नक्शे में तरमीम की त्रुटी को दुरूस्त कराना चाहते हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाद तामिल वक्त पेशी उपस्थित नहीं हुए जिस कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू दिनांक 10.02.2021 को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक अरनियाजोशी एवं पटवारी हल्का उंखलिया के द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू आदेशित किया जिसकी पालना में पटवारी हल्का ऊँखलिया व भू अभिलेख निरीक्षक अरनियाजोशी द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के समक्ष मौका पर्चा रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार नवीन आराजी नम्बर रकबा निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया हैं:—

प्रार्थी सं0 1 श्री गौरीलाल पिता चतरभुज जाट सा0 आजमपुरा खातेदार मौके पर कब्जा एवं गत भू प्रबन्ध नक्शा अनुसार नवीन आराजी नम्बर रकबा निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया हैं:—

आ0नं0	रकबा
352 पूर्ण	0.11 हेक्टैयर
353 मेंसे उत्तर	0.48 हेक्टैयर,
354 मेंसे उत्तर	0.20 हेक्टैयर,
355 मेंसे उत्तर	0.22 हेक्टेयर
357 पूर्ण	0.11 हेक्टेयर
358 मेंसे उत्तर	0.08 हेक्टैयर
कुल किता 6	कुल रकबा 1.20 हेक्टैयर

प्रार्थीगण सं0 2 से 6 का मौके पर कब्जा एवं गत भू प्रबन्ध नक्शा अनुसार नवीन आराजी नम्बर रकबा प्रस्तावित किया गया हैं:—

आ0नं0	रकबा
353मेंसे मध्य	0.24 हेक्टेयर
354 मेंसे मध्य	0.15 हेक्टैयर,

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

355 मेंसे मध्य	0.13 हेक्टेयर,
358 मेंसे मध्य	0.05 हेक्टैयर,
359 मेंसे	0.03 हेक्टेयर
कुल किता 5	कुल रकबा 0.60 हेक्टैयर

विपक्षीगण सं0 1 व 2 का मौके पर कब्जा एवं गत भू प्रबन्ध नक्शा अनुसार नवीन आ0नं0 रकबा प्रस्तावित किया गया हैं:–

आ0नं0	रकबा.
353 मेंसे दक्षिण	0.15 हेक्टैयर
354 मेंसे दक्षिण	0.14 हेक्टैयर
355 मेंसे दक्षिण	0.15 हेक्टैयर,
359 मेंसे दक्षिण	0.21 हेक्टेयर
कुल किता 4 कुल रकबा	0.65 हेक्टेयर

उपरौक्त मौका रिपोर्ट अनुसार नवीन आराजी नम्बर एवं रकबा प्रस्तावित किया गया हें।

मैने बहस वकील प्रार्थीगण सुनी पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदीया एवं खसरा गिरदावरी, मिलान क्षैत्रफल व पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात का मौका कब्जा स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर मौका स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में निम्नानुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता हैं:–

प्रार्थी सं0 1 श्री गौरीलाल पिता चतरभुज जाट सा0 आजमपुरा खातेदार मौके पर कब्जा एवं गत भू प्रबन्ध नक्शा अनुसार नवीन आराजी नम्बर रकबा निम्नानुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं:–

आ0नं0	रकबा
352 पूर्ण	0.11 हेक्टैयर
353 मेंसे उत्तर	0.48 हेक्टैयर,
354 मेंसे उत्तर	0.20 हेक्टैयर,
355 मेंसे उत्तर	0.22 हेक्टेयर
357 पूर्ण	0.11 हेक्टेयर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

358 मेंसे उत्तर	0.08 हेक्टैयर

कुल किता 6 कुल रकबा 1.20 हेक्टैयर

प्रार्थीगण सं0 2 से 6 का मौके पर कब्जा एवं गत भू प्रबन्ध नक्शा अनुसार नवीन आराजी नम्बर रकबा तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं:-

आ0नं0	रकबा
353मेंसे मध्य	0.24 हेक्टैयर
354 मेंसे मध्य	0.15 हेक्टैयर,
355 मेंसे मध्य	0.13 हेक्टेयर,
358 मेंसे मध्य	0.05 हेक्टैयर,
359 मेंसे	0.03 हेक्टेयर

कुल किता 5 कुल रकबा 0.60 हेक्टैयर

विपक्षीगण सं0 1 व 2 का मौके पर कब्जा एवं गत भू प्रबन्ध नक्शा अनुसार नवीन आ0नं0 रकबा तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं:-

आ0नं0	रकबा.
353 मेंसे दक्षिण	0.15 हेक्टैयर
354 मेंसे दक्षिण	0.14 हेक्टैयर
355 मेंसे दक्षिण	0.15 हेक्टैयर,
359 मेंसे दक्षिण	0.21 हेक्टेयर

कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 हेक्टेयर

इसी अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वो उक्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में आराजीयात का अमल दरामद करें। यह आदेश आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(चन्द्र शेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा राज0

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़